विद्यार्थीगण
माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (MITS-DU)
गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) - 474005

ज्ञापन

प्रति,

माननीय कुलपति महोदय,

माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी),

गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः- संस्थान में हो रही प्रशासनिक मनमानी, नियम-विरुद्ध पदस्थापना/स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आयु में हेराफेरी एवं वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच कराए जाने तथा जांच हेतु गठित समिति में केवल शासी परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BOG) के सदस्यों को सम्मिलित कर कुलपति महोदय को स्वयं समिति से पृथक रखे जाने के संबंध में विद्यार्थियों का सामूहिक ज्ञापन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (MITS-DU), ग्वालियर के विद्यार्थीगण, संदर्भित शिकायती पत्रों के माध्यम से संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उजागर हुए गंभीर तथ्यों से अत्यंत चिंतित हैं। संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा, अनुशासन एवं भविष्य सीधे तौर पर इसकी प्रशासनिक शुचिता पर निर्भर करता है, अतः निम्नलिखित तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच कराए जाने का अनुरोध करते हैं।

1. रजिस्ट्रार / डिप्टी रजिस्ट्रार पदों पर बार-बार नियुक्ति एवं हटाने का खेल

संस्थान में रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार के पदों पर बार-बार किए जा रहे परिवर्तन इस बात को दर्शाते हैं कि इन नियुक्तियों की आड़ में कुलपति महोदय द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं को छुपाया जा रहा है। पूरे संस्थान में केवल दो व्यक्ति – श्री प्रभाकर शर्मा एवं

श्री निखिल पालीवाल – पर ही कुलपति महोदय की असीमित कृपा दृष्टि बनी रहती है, जबकि संस्थान में इनसे कहीं अधिक वरिष्ठ एवं अनुभवी प्राध्यापक उपलब्ध हैं।

(क) श्री प्रभाकर शर्मा प्रकरण

1. दिनांक 12.07.2024 को सहायक प्राध्यापक श्री प्रभाकर शर्मा को डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया (आदेश क्रमांक 277)।
2. दिनांक 07.05.2025 को इन्हें रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया (आदेश क्रमांक 845)।
3. मात्र 15 दिवस पश्चात दिनांक 23.05.2025 को इन्हें दोनों पदों से एक साथ हटा दिया गया (आदेश क्रमांक 860) तथा जनवरी 2022 में नियुक्त कनिष्ठ सहायक प्राध्यापक श्री निखिल पालीवाल को रजिस्ट्रार का प्रभार दे दिया गया।
4. दिनांक 11.06.2025 को श्री शर्मा को कुलपति का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD to VC) बनाया गया (आदेश क्रमांक 939), किंतु एक माह से भी कम अवधि में दिनांक 10.07.2025 को इन्हें समस्त पदों से हटाकर मूल विभाग (CSE) में लेक्चरर के रूप में अध्यापन हेतु वापस भेज दिया गया (आदेश क्रमांक 995)।
5. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इसी दौरान श्री शर्मा से लगभग 30 लाख रुपये की रिकवरी भी निकलवाई गई।
6. कुछ माह पश्चात कुलपति व श्री शर्मा के मध्य आपसी समझौता होने पर दिनांक 25.11.2025 को इन्हें "सिस्टम मैनेजर" पुनर्नामित किया गया (आदेश क्रमांक 1195) एवं मात्र 3 दिन बाद दिनांक 28.11.2025 को पुनः कुलपति का OSD बना दिया गया।
7. दिनांक 13.01.2026 को आदेश क्रमांक 09 द्वारा दिनांक 14.01.2026 से संस्थान की समस्त क्रय (Purchase Order) प्रक्रिया कुलपति कार्यालय से संचालित करते हुए, श्री शर्मा (OSD) को क्रय आदेशों हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) नियुक्त कर दिया गया – जो कि नियमानुसार वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इससे स्पष्ट है कि जब तक निर्धारित कमीशन प्राप्त नहीं होगा, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान रोका जाएगा।

(ख) श्री निखिल पालीवाल प्रकरण

8. श्री पालीवाल की सेवाएं नियमित नहीं हैं। दिनांक 14.06.2024 को इन्हें तीन वर्ष हेतु डिप्टी रजिस्ट्रार (एकेडमिक्स) नियुक्त किया गया (आदेश क्रमांक 208), किंतु समयपूर्व ही पद से हटा दिया गया।

9. दिनांक 27.12.2024 को पुनः डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया (आदेश क्रमांक 616)।

10. दिनांक 18.10.2025 को इन्हें तीन वर्ष हेतु समस्त विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया (आदेश क्रमांक 1166)।

11. मात्र 11 दिवस पश्चात दिनांक 31.10.2025 को इन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाकर डिप्टी रजिस्ट्रार / प्रभारी रजिस्ट्रार बना दिया गया (आदेश क्रमांक 1174)।

उपरोक्त दोनों प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कुलपति महोदय द्वारा प्रशासनिक पदों को अपनी इच्छानुसार खिलौने की भांति उपयोग किया जा रहा है, जिससे संस्थान के प्रशासनिक ढांचे, वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर गंभीर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है।

2. सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा में नियम-विरुद्ध हेराफेरी

12. कुलपति डॉ. आर.के. पंडित स्वयं अगस्त 2022 में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, तथापि निदेशक पद पर बने रहते हुए अपनी सेवा अवधि स्वयं बढ़ा ली गई और अगस्त 2025 में 65 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी अभी तक पद पर बने हुए हैं।

13. संस्थान में ही कार्यरत इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी पंडित, जिनकी सेवानिवृत्ति नवंबर 2025 में 62 वर्ष की आयु पर निर्धारित थी, को बिना किसी आपत्ति के 65 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इसी क्रम में प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार त्रिवेदी की सेवा भी तीन वर्ष हेतु बढ़ा दी गई (आदेश क्रमांक 1136 दिनांक 04.09.2025), जिससे यह "एक पंथ दो काज" प्रतीत होता है।

14. दिनांक 24.08.2024 के आदेश क्रमांक 403 द्वारा प्राध्यापकों हेतु निर्धारित मानक 360° API (Academic Performance Indicator) प्रारूप को समाप्त कर, कुलपति द्वारा स्वयं "Synopsis of Contribution" के आधार पर मूल्यांकन का अधिकार अपने पास ले लिया गया – जो पूर्णतः नियम-विरुद्ध है और प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन विशेष रूप से श्रीमती मंजरी पंडित को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया, क्योंकि पूर्व प्रारूप में उनका स्कोर न्यूनतम आता।

15. दिनांक 03.04.2026 को आदेश क्रमांक 53 द्वारा कार्यकारी परिषद की बैठक (25.03.2026) के निर्णयानुसार यह प्रावधान किया गया कि जो संकाय सदस्य 60 अथवा 62 वर्ष की आयु 6 माह के भीतर पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें सेवा जारी रखने हेतु पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें "अनिच्छुक" मानकर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यह आदेश अनुभवी एवं ईमानदार संकाय सदस्यों को समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर, चाटुकार व्यक्तियों को असीमित सेवा-विस्तार देने की मंशा से प्रेरित प्रतीत होता है।

16. इसके विपरीत, श्री प्रमोद कुमार सिंघल, जो दिनांक 26.06.2027 को 62 वर्ष पूर्ण करेंगे, का सेवा-विस्तार आवेदन नियत 6 माह की अवधि से लगभग एक वर्ष पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया, जबकि गोपनीय वार्षिक प्रतिवेदन (ACR) भी कुलपति के निर्देशानुसार अपने चहेतों के पक्ष में लिखे जाने का आरोप है।

17. दिनांक 23.11.2023 के तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. के पत्र (क्रमांक /एस-1/पी/2023/865) के संदर्भ में अनुदान हेतु दी गई जानकारी में कुलपति की स्वयं की सेवानिवृत्ति वर्ष 2030 तथा उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति वर्ष 2028 दर्शाई गई, जबकि वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है – यह शासकीय अनुदान प्राप्ति हेतु तथ्यों को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना प्रतीत होता है, जिसकी गंभीरता से जांच आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि आदेश क्रमांक 53 दिनांक 03.04.2026 को तत्काल निरस्त कर, संस्थान की समस्त संकाय की सेवानिवृत्ति आयु यूजीसी, एआईसीटीई एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप (65 वर्ष, निर्धारित प्रक्रिया सहित) एकसमान रूप से लागू की जाए, न कि स्वयंभू कुलपति के व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर।

3. कुलपति द्वारा स्वयं की वेतन-वृद्धि में नियम-विरुद्ध लाभ

18. डॉ. आर.के. पंडित द्वारा बिना किसी विज्ञप्ति/नोटिफिकेशन एवं बिना समिति की अनुशंसा के, स्वयं के लिए बैक-डेट (जुलाई 2015 से प्रभावी) हायर एकेडमिक ग्रेड पे (HAG) का लाभ, संस्थान के सचिव श्री रमेश अग्रवाल की अनुशंसा पर आदेश क्रमांक 427 दिनांक 20.05.2021 के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया।

19. इस हेतु कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, जिससे संस्थान के अन्य पात्र वरिष्ठ प्राध्यापक आवेदन ही नहीं कर सके।

20. इसके अतिरिक्त जुलाई 2016 से भी हायर ग्रेड पे (HAG) का इंक्रीमेंट व एरियर गुपचुप तरीके से स्वयं के लिए ले लिया गया, जबकि साथ ही यह आदेश पारित किया गया कि किसी अन्य कर्मचारी/शिक्षक को पदोन्नति आदेशों में एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुरोध है कि इस संबंध में भी स्वतंत्र समिति से जांच कराकर नियम-विरुद्ध प्राप्त की गई राशि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए।

4. वित्तीय अनियमितताओं संबंधी अतिरिक्त गंभीर तथ्य

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र में निम्न गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जिन पर तत्काल जांच अपेक्षित है:

(a) सिविल एवं आर्किटेक्टीय कार्यों (हॉस्टल नं. 7 - लगभग 10 करोड़, नवीन अकादमिक भवन - लगभग 12 करोड़, क्रिकेट ग्राउंड - लगभग 3 करोड़, समस्त क्लासरूम का दो बार नवीनीकरण - प्रत्येक 65 लाख की दर से) में एक ही चयनित ठेकेदार को बार-बार कार्य देकर कमीशनखोरी का आरोप।

(b) भारत सरकार से प्राप्त TEQIP-II एवं TEQIP-III अनुदान (क्रमशः 10 व 15 करोड़) के दुरुपयोग का आरोप, जिसमें सह-कुलसचिव व वित्त अधिकारी की संलिप्तता बताई गई है।

(c) हॉस्टल नंबर 1, 2 एवं 3 – जो SC/ST निधि से निर्मित थे – को बिना समुचित परीक्षण के अनुपयोगी घोषित कर, वर्षों से खाली रखे जाने का आरोप, जबकि यह मामला वर्तमान में लोकायुक्त में लंबित है।

(d) निदेशक बंगले के जीर्णोद्धार पर लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय (12 एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल इत्यादि) एवं पड़ोसी वार्डन क्वार्टर के अनधिकृत उपयोग का आरोप।

(e) विगत 7 वर्षों में संस्थान के खातों से कोटक महिंद्रा बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई की शाखाओं में लगभग 30 करोड़ रुपये अंतरित किए जाने तथा संस्थान का मुख्य बैंक खाता यूनियन बैंक से हटाकर HDFC बैंक, ग्वालियर में स्थानांतरित किए जाने का आरोप।

(f) संस्थान की लेखा शाखा में 25-27 बैंक खाते संचालित होने तथा परीक्षा शाखा के खाते का कभी ऑडिट न होने का आरोप।

(g) विगत 7 वर्षों में हुई तीन शिक्षक भर्तियों में अनेक नियुक्तियां रिश्तेदारों/परिचितों की होने अथवा प्रत्येक नियुक्ति हेतु 15-20 लाख रुपये लिए जाने का आरोप।

(h) संस्थान के विरुद्ध समाचार-पत्रों में नकारात्मक समाचार प्रकाशित न हों, इस हेतु स्थानीय पत्रकारों की पत्नियों को नियुक्ति दिए जाने तथा एक अयोग्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी को "जनसंपर्क अधिकारी" के रूप में मासिक पारिश्रमिक देकर नियुक्त किए जाने का आरोप।

उपरोक्त सभी बिंदु गंभीर प्रकृति के हैं तथा संस्थान को प्राप्त होने वाले शासकीय अनुदान एवं जनता के धन के दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं, अतः इनकी विस्तृत एवं स्वतंत्र जांच अत्यावश्यक है।

<u>प्रार्थना</u>

21. उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर तत्काल विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

22. जांच हेतु गठित की जाने वाली समिति में केवल संस्थान की शासी परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BOG) के सदस्यों को ही सम्मिलित किया जाए, तथा चूंकि कुलपति डॉ. आर.के. पंडित स्वयं इस शिकायत के विषय-वस्तु (subject-matter) हैं, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता) के अनुपालन में उन्हें जांच समिति की संरचना, गठन एवं कार्यवाही से पूर्णतः पृथक रखा जाए।

23. जांच समिति स्वतंत्र रूप से, बिना कुलपति कार्यालय के हस्तक्षेप के, साक्ष्य एकत्र कर सके, इस हेतु जांच पूर्ण होने तक कुलपति महोदय को इन बिंदुओं से संबंधित प्रशासनिक/वित्तीय निर्णयों (यथा नियुक्ति, स्थानांतरण, क्रय आदेश आदि) से दूर रखा जाए।

24. आदेश क्रमांक 53 दिनांक 03.04.2026 एवं आदेश क्रमांक 09 दिनांक 13.01.2026 (क्रय आदेशों हेतु OSD को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाए जाने संबंधी) की भी समिति द्वारा समीक्षा की जाए।

25. जांच की प्रगति एवं निष्कर्ष से विद्यार्थियों/संस्थान समुदाय को यथासमय अवगत कराया जाए, ताकि संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा एवं पारदर्शिता बनी रहे।

26. दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं आवश्यक होने पर आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सविनय प्रार्थना है कि इस ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेकर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों की जांच समिति गठित कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिसके लिए हम विद्यार्थीगण सदैव आभारी रहेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

विद्यार्थीगण

माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (MITS-DU), ग्वालियर

प्रतिलिपि – आवश्यक कार्यवाही हेतु

अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors), माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (MITS-DU), ग्वालियर

(*) CP Chauhan
(1) Devesh Sharma
(2) Anurag Sharma
(3) Harsh Joshi
(4) Raghav Singh Tomar

Received
14/7/26

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE
DEEMED TO BE UNIVERSITY
MITS-DU
GWALIOR

14/7/26